उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या–500–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–100(1)प्र0सु0/92 दिनाँक : 25 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्मिकों के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्या–430–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–100(1)प्र0सु0/92, दिनाँक 03 जून, 2019 द्वारा वर्ष 2019–2020 हेतु निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुक्रम में इसके प्रस्तर संख्या–2 (ii), प्रस्तर–2 (iv) एवं प्रस्तर–5 में उल्लिखित प्राविधानों, जो कि कॉलम–2 में निर्दिष्ट हैं, को एतद्द्वारा कॉलम–3 में निर्दिष्ट प्राविधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :–

प्रस्तर सं0	विद्यमान प्राविधान	प्रतिस्थापित प्राविधान
[1]	[2]	[3]
2(ii)	समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जो किसी वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदों पर कुल 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में की जा सकती है यदि वह न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में तैनात रहा हो।	समूह 'क' के ऐसे अधिकारी, जो किसी वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में समूह 'क', समूह 'ख' एवं समूह–'ग' के पदों पर कुल 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को से अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः उसी वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में की जा सकती है यदि वह न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि हेतु किसी अन्य वितरण निगम (डिस्कॉम)/केस्को में तैनात रहा हो।
2(iv)	लेसा–सिस/लेसा–ट्रान्स/लखनऊ क्षेत्रों में तैनात ऐसे अधिकारी, जो इन क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इन तीनों क्षेत्रों को एक मानते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः लेसा–सिस/लेसा–ट्रान्स/लखनऊ क्षेत्रों में की जा सकेगी यदि वह न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि हेतु कहीं अन्यत्र तैनात रहा हो।	लेसा–सिस/लेसा–ट्रान्स/लखनऊ जनपद स्थित लखनऊ क्षेत्र के कार्यालयों में तैनात ऐसे अधिकारी, जो इन क्षेत्रों/कार्यालयों में उपरोक्तानुसार निर्धारित तैनाती अवधि पूर्ण कर चुके हों, उन्हें इन तीनों स्थानों को एक मानते हुए अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा। उक्त निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त भी किसी अधिकारी की तैनाती पुनः लेसा–सिस/लेसा–ट्रान्स/लखनऊ जनपद स्थित लखनऊ क्षेत्र के उन कार्यालयों में की जा सकेगी यदि वह न्यूनतम 10 वर्षों की अवधि हेतु कहीं अन्यत्र तैनात रहा हो।
5	उक्त आधार पर प्रत्येक वर्ग हेतु, इकाई के ऐसे कार्मिक जिनकी किसी एक पद पर लगातार तैनाती अवधि अधिकतम हो, को पहले स्थानान्तरित किया जायेगा तथा कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 40 प्रतिशत तक स्थानान्तरण सीमित रखा जायेगा। यदि इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो इसका अनुमोदन अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 से प्राप्त किया जायेगा।	उक्त आधार पर प्रत्येक वर्ग हेतु, इकाई के ऐसे कार्मिक जिनकी किसी एक पद पर लगातार तैनाती अवधि अधिकतम हो, को पहले स्थानान्तरित किया जायेगा तथा कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 30 प्रतिशत अन्तर्निगमीय स्थानान्तरण किया जा सकेगा, जबकि निगम के अन्दर किये जाने वाले स्थानान्तरण की अधिकतम संख्या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि इस सीमा से अधिक स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो इसका अनुमोदन अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 से प्राप्त किया जायेगा।

2. कार्यालय ज्ञाप संख्या–430–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019–100(1)प्र0सु0/92, दिनाँक 03 जून, 2019 में उल्लिखित शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

निदेशक मण्डल, उ0प्र0पा0का0लि0

आर. के. गुप्ता

संख्या–500(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2019, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को–कानपुर
6. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0पा0का00लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को, वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं II)/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, मध्याँचल/पूर्वान्चल/पश्चिमाँचल/दक्षिणाँचल, विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार/शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय व्ययक)/(निधि)/(प्रशासन) एवं (सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. वरिष्ठ उप–महालेखाकार/महालेखाकार (आडिट)–द्वितीय, उ0प्र0पा0का0लि0, द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, समस्त विद्युत वितरण निगम लि0।
16. समस्त अधिकारी/शिविर/अनुभाग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु/नोटिस बोर्ड।

आर.के.गुप्ता

(आर0के0गुप्ता)
संयुक्त सचिव (ज0श0 एवं प्रशि0)